संख्या:272/2015/3391जेएल/22-3-15-100(57)/2015-टीसी

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2015***

विषय: जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध 05 विचाराधीन बंदियों अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-35835/सामा-1(3)/03/मेरठ मं0/2011, दिनांक 28-08-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध निम्नलिखित 05 (पाँच) विचाराधीन बंदियों को उनके सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	नरेन्द्र पुत्र श्री हरिपाल	जि0 का0, मुजफ्फरनगर	जि0का0, बदायूँ
2	वीरेन्द्र पुत्र श्री हरिपाल	जि0 का0, मुजफ्फरनगर	जि0का0 शाहजहाँपुर
3	परमेन्द्र पुत्र श्री हरिपाल	जि0 का0, मुजफ्फरनगर	जि0का0 पीलीभीत
4	सुरेन्द्र पुत्र श्री हरिपाल	जि0 का0, मुजफ्फरनगर	जि0का0 सीतापुर
5	हरेन्द्र पुत्र श्री धीरसिंह	जि0 का0, मुजफ्फरनगर	जि0का0 बहराइच

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या:272/2015/3391जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
2. अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर/बदायूँ/शाहजहाँपुर/पीलीभीत/सीतापुर/बहराइच।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in